संख्या-9/2017/286/सैंतीस-2-2017-1(14)/2014

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-08 मार्च, 2017

विषयः- **उत्तर प्रदेश वेटनरी काउन्सिल (50 प्रति0के0पो0) (कम्पोनेन्ट) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3230/35-21/वे0का0/2016-17, दिनांक-28.02.2017 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-62/2016/1051/सैंतीस-2-2016-1(14)/2014, दिनांक-05.05.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0201-उत्तर प्रदेश वेटनरी काउन्सिल (के.50/रा.50-के.+रा.) के अन्तर्गत निम्न मानक मदों में रू0-432.50 हजार (रूपये चार लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (हजार में)**
02-मजदूरी	150.00
09-विद्युत देय	282.50
योग-	**432.50**

(रूपये चार लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत उपलब्ध परिव्यय की सीमा तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध केन्द्रांश की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(4) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इसका व्यय नई मदों में न किया जाय। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत वस्तुओं आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैण्डबुक तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये तथा जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत है, स्वीकृति की सीमा तक उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय किया जाय।

(7) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता की धनराशि राज्य के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-04-केन्द्र द्वारा समर्थित योजनान्तर्गत स्कीमों के लिए अनुदान-800-अन्य अनुदान-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के नामे क्रेडिट की जाएगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0201-उत्तर प्रदेश वेटनरी काउन्सिल (के.50/रा.50-के.+रा.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>प्र0सं0-9/2017/286(1)/सैंतीस-2-2017- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in